मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 2011 (फाल्गुन 4, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ

उप चुनाव में, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 170-सोनकच्छ (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 198-कुक्षी (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री किराड़े मुकाम सिंह शपथ लेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 1 सन् 2011) पटल पर रखेंगे.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय विश्नोई, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009, पटल पर रखेंगे.

(2) श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007, पटल पर रखेंगे.

(3) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-क्र.2-16-2009-सात-6, दिनांक 21 सितम्बर, 2010, पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री खनिज साधन :-

(i) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड की 47वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2008-2009, तथा

(ख) एम.पी. पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वित्त वर्ष 2008-2009, तथा

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 185 (डी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2007-2008,

पटल पर रखेंगे.

5. नवम्बर-दिसम्बर, 2010 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

6. नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2010 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

7. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

8. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, चम्बल संभाग में नहर प्रणाली से सिंचाई हेतु पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल में हरियाली महोत्सव के तहत पौध रोपण में अनियमितता किये जाने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

9. सभापति तालिका की घोषणा

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के -

(क) सिन्ध परियोजना की आर.बी.सी. नहर का निर्माण ग्राम जैतपुर तक किये जाने,

(ख) ग्राम दिदावली हेठा दीवर में आंगन बाडी भवन निर्माण किये जाने,

(ग) मगरोनी में कन्या हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(घ) ग्राम लमकना से बिल्हारी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(ङ) ग्राम केखौदा से दतुला तक सड़क निर्माण कराये जाने, तथा

(च) ग्राम गाणौनी दतुला में नहर निर्माण कराये जाने,

(2) श्री विजयपाल सिंह, सदस्य, होशंगाबाद जिले के -

(क) बाबई में स्थित माखन लाल चतुर्वेदी महाविद्यालय में अतिथि विद्वानों की नियुक्ति किये जाने, तथा

(ख) ग्राम शोभापुर में स्थित उप मंडी में खरीदी का कार्य प्रारंभ कराये जाने,

(3) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, सतना जिले के -

(क) रामपुर बघेलान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने,

(ख) ग्राम बदरखां, हिनौता को मुख्यमंत्री सड़क योजना में जोड़े जाने,

(ग) टमस नदी पर निमहा घाट में रपटा निर्माण कराये जाने,

(घ) रामपुर बघेलान के हनुमानगंज मोहल्ले के चौराहे पर डॉक्टर अम्बेड़कर की प्रतिमा स्थापित किये जाने,

(ङ) ग्राम घोरकाट में हाई स्कूल खोले जाने,

(च) ग्राम पिथयपुर में खैरहा नाला पर पुल निर्माण कराये जाने, तथा

(छ) रामपुर बघेलान में बालिका छात्रावास खोले जाने.

(4) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम पंचायत मालपिया के आदिवासी भूमिहीनों को पट्टे दिये जाने,

(ख) मोहनगढ़ को तहसील स्तर की समस्त सुविधा दिये जाने,

(ग) ओरछा तिगैला से ओरछा मार्ग की पुलियों को चौड़ा किये जाने, तथा

(घ) मोहनगढ़ में तहसील भवन का निर्माण कराये जाने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 1 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

12. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती नीता पटेरिया, सदस्य द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

डॉ. ए.के. पयासी

भोपाल : **प्रमुख सचिव,**

दिनांक : 22 फरवरी, 2011 **मध्यप्रदेश विधान सभा.**